that the magnitude of the problems of long term development of chronically famine affected areas is such that its solution is bound to take considerable time and the resources needed for it would be collosal. Further as such areas are distributed in various States throughout the country, it is not practicable for any one centralised agency at the Centre to tackle the problem of such a magnitude within the limited resources. The scheme for the development of chronically drought affected areas has been transferred to the State sector with effect from the 1st April, 1969, However, 10% of the Central assistance to States will be available in the Fourth Plan period for special problems, including those connected with their chronically drought affected areas.

कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि वस्तुओं के निर्धारित मूल्य

684. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने कृषि मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा था और क्या उन्होंने खेतिहर मजदूरों के हितों पर भी विचार किया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयोग के सदस्यों के नाम तथा पदनाम और इसके निर्देश पद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) मुख्य कृषि की वस्तुओं के लिये न्यूनतम सहाय्य मूल्य और अनाजों का अधिप्राप्ति मूल्य, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात निर्धारित किये जाते हैं। आयोग के द्वारा इन कीमतों की स्तरों के सुझाव में, जो बातें विचार में लायी जाती हैं वे भाग (ग) के उत्तर में लिखे निर्देश पदों में दी गयी हैं। आयोग अपनी सिफारिशें करने में समुदाय के विभिन्न भागों के हितों को उचित ध्यान देता है जिसमें कृषि मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) डा० अशोक मित्रा **अध्यक्ष**
डा० धर्म नारायण **सदस्य**
श्री सुशीलचन्द्र चौधरी **सदस्य-सचिव**

आयोग के निर्देश पद निम्नलिखित हैं :—

1. खेती की जिन्सों, खासकर धान, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और अन्य दालों, गन्ना, तिलहन, कपास और पटसन की मूल्य नीति के बारे में सलाह देना ताकि ऐसे संतुलित तथा समन्वित मूल्य ढांचे का विकास हो सके जिसमें देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने तथा उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का उचित ध्यान रखा जाए।

1.1 मूल्य नीति और न्योन्यान्वित मूल्य ढांचे के बारे में सिफारिश करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :

(1) उत्पादकों को ऐसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जिनसे वे सुधरी हुई टैक्नोलौजी अपना सकें ओर उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकें;

(2) भूमि और अन्य उत्पादन-साधनों का परिम्य उपयोग सुनिश्चित करना;

(3) शेष अर्थ-व्यवस्था विशेषकर रहन-सहन के खर्च, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक खर्च के ढांचे, आदि पर मूल्य नीति का सम्भावित प्रभाव।

1.2 आयोग ऐसे साधनों की भी सिफारिश कर सकता है जिनका यद्यपि मूल्यों से सीधा सम्बन्ध न हो तथापि जिनसे उपरोक्त 1 में वर्णन किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी हो।

2. समय-समय पर विभिन्न जिन्सों के सम्बन्ध में मूल्य नीति को प्रभावशाली बनाने के

लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ।

3. विभिन्न प्रदेशों में कृषि जिन्सों के विपणन सम्बन्धी चालू तरीके और विपणन के खर्चों का निरीक्षण करना, विपणन के खर्चे में कमी करने के उपाय सुझाना और विपणन के विभिन्न स्तरों के लिए मूल्य में उचित छूट की सिफारिश करना ।

4. बदलती हुई मूल्य स्थिति पर पुनः विचार करना और आवश्यकता होने पर समस्त मूल्य नीति को सामने रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना ।

5. मूल्य नीति से सम्बन्धित अनुसन्धान और कृषि मूल्य तथा अन्य सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने की व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करना और उनमें सुधार करने का सुझाव देना ।

6. कृषि मूल्य तथा उत्पादन सम्बन्धी उन सभी समस्याओं पर सलाह देना जो समय समय पर सरकार उनके पास भेजे ।

औद्योगिक उपक्रम

685. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 17 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6648 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन औद्योगिक उपक्रमों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6648 के आश्वासन के परिपालन में दिये गये उत्तर की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रख दी गयी । देखिये संख्या** LT 338/69]

राज्यों में भूमि का अधिग्रहण

686. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 10 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5890 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राज्यों में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत पट्टे पर अधिशेष भूमि के अधिग्रहण विषयक कार्यवाहियों को रद्द करने की शुरूआत की रिपोर्ट किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ज़मीनदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में ऐसी विहित भूमियों के पट्टों को रद्द करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है जोकि अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके ग्राम सभाओं द्वारा किराए पर दी गई थी । 1964-67 के तीन वर्षों में ऐसे पट्टों की जांच के परिणाम स्वरूप, उत्तर प्रदेश जमीनदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 198 (2) के अन्तर्गत 1,01,948 मामलों में अनियमित पट्टों को रद्द करने के कार्य की शुरूआत की गई थी । इन मामलों में न्यायालयों में कार्यवाही की जा रही है ।